रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042025-262234
CG-DL-E-02042025-262234

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1551] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2025/चैत्र 12, 1947
No. 1551] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2025/CHAITRA 12, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2025

का.आ. 1570(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दादरा और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य, दादरा और नागर हवेली के आसपास एक पारिस्थितिक संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2413(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2015 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2413(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2015 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2413(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2015, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – (1) केंद्रीय सरकार एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

(i)	प्रशासक, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	मुख्य वन संरक्षक, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य, पदेन;
(iii)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य, पदेन;
(iv)	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), दादरा और नगर हवेली	सदस्य, पदेन;
(v)	सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण समिति, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	सदस्य, पदेन;
(vi)	रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर, सिलवासा	सदस्य, पदेन;
(vii)	रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर, खानवेल	सदस्य, पदेन;
(viii)	मुख्य नगर नियोजक, दादरा और नगर हवेली	सदस्य, पदेन;
(ix)	सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिकारी, दादरा एवं नगर हवेली	सदस्य, पदेन;
(x)	संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(xi)	संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र विश्वविद्यालय के किसी प्रतिष्ठित संस्थान से पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(xii)	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), दादरा एवं नगर हवेली	सदस्य सचिव, पदेन।

5क. मानीटरी समिति के कृत्य:- (1) मानीटरी समिति, सारणी में उसके पैरा 4 में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद क्रियाकलापों तथा उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्विक पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए, यथास्थिती, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार या राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकेगी।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध- III में निर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।"

[फा. सं. 25/26/2014-ईएसजेड/आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण.-- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 4 सितम्बर, 2015 को अधिसूचना संख्या का.आ. 2413 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2025

S.O. 1570(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O.2413 (E), dated the 4th September, 2015;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O.2413 (E), dated the 4th September, 2015;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O.2413 (E), dated the 4th September, 2015, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**.- The Central Government hereby constitute a monitoring Committee consisting of the following persons, namely: -

(i)	Administrator, Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli	Chairman, *ex officio*;
(ii)	Chief Conservator of Forests, Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli	Member , *ex officio*;
(iii)	Chief Wildlife Warden, Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli	Member, *ex officio*;
(iv)	Deputy Conservator of Forests (Territorial), Dadra and Nagar Haveli	Member, *ex officio*;
(v)	Member Secretary, Pollution Control Committee, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli	Member, *ex officio*;
(vi)	Resident Deputy Collector, Silvassa	Member, *ex officio*;
(vii)	Resident Deputy Collector, Khanvel	Member, *ex officio*;
(viii)	Chief Town Planner, Dadra and Nagar Haveli	Member , *ex officio*;
(ix)	Survey and Settlement Officer, Dadra and Nagar Haveli	Member, *ex officio*;
(x)	One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Union Territory Administration from time to time every three years	Member;
(xi)	One expert in area of ecology and environment from a reputed institution of University of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli to be nominated by the Union Territory Administration from time to time every three years	Member;
(xii)	Deputy Conservator of Forests (Wildlife), Dadra and Nagar Haveli	Member Secretary, *ex officio*.

5A. **Functions of Monitoring Committee.**– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or the stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report annually of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30th June of that year in pro-forma specified in Annexure-III.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”.

[F. No. 25/26/2014-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O.2413(E), dated the 4th September, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA